(139)

संख्याः 154/xxvii(7)02./2012

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 13 जून,2012

विषयः दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01–01–2012 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्याः15/xxvii(7)02/2012 दिनांक 21 जनवरी,2012।
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(3)2008संस्था–II(ख) दिनांक 20 अप्रैल,2012 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश संख्याः15/xxvii(7)02/2012 दिनांक 21 जनवरी,2012 द्वारा दिनांक 01–07–2011 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 127 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांकः 21 जनवरी,2012 एवं 20 अप्रैल,2012 के क्रम में दिनांक 01–01–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का दिनांक 01–01–2012 से मंहगाई भत्ते को 127 प्रतिशत से बढ़ाकर 139 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी,2012, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित) को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2012 से 30 जून,2012 तक (सेवानिवृत्त अथवा 6 माह के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर) की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा दिनांक 01 जुलाई,2012 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) की धनराशि नई पेंशन योजना में जमा की जायेगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : 154 / xxvii(7)02 / 2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. प्रमुख सचिव ,सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
5. प्रमुख सचिव / सचिव, शहरी विकास विभाग / सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय / उपकम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय / उपकम के कार्मिकों को मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में स्वंय निर्णय ले सकते है तथा इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी।
6. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर / देहरादून।
10. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
11. वित्त, आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
13. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।